

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज.)

बैठक संख्या:- 10

दिनांक:- 17.11.2011

वार :- गुरुवार

समय:- सुबह- 11.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 17.11.2011 प्रातः 11.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्ष श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	उपसभापति एवं सदस्य
2. श्री मुस्लिम अली बंदुक वाला	सदस्य
3. श्री फूल सिंह मीणा	सदस्य
4. श्री राजेश जैन	सदस्य
5. श्री दिनेश कोठारी	आयुक्त एवं सदस्य सचिव
6. श्री राजेश वर्मा	उपनगर नियोजक
7. श्री सर्मथ बाबेल	सहायक अभियंता
8.. श्री चतर सिंह	सहायक अभियंता
9. श्री करीमुद्दीन	सर्वेयर
10. श्री सिराजुद्दीन	सर्वेयर

सर्वप्रथम समिति अध्यक्ष श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर दिनांक 25.8.11 की बैठक संख्या 9 की पुष्टि की गई। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आरंभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। नियमन, नामान्तरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समिति के कार्य काल में दिनांक 4.7.2011 एवं 25.8.2011 की बैठकों में हुए निर्णयों के अलावा पूर्व की 7 बैठकों में जिन पत्रावलियों पर निर्णय हो चुका है एवं भूखंडधारियों द्वारा नियमन की राशि अभी तक जमा नहीं कराई है वो 30.11.2011 तक जमा नहीं करवाते है तो उनकी पत्रावलियों पर की गई समस्त कार्यवाही को निरस्त करते हुए भूखंडधारी को सूचित कर दिया जावे एवं पत्रावलियों की सूची अतिक्रमण शाखा को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। इस पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की तत्पश्चात् समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
1.	282, हिरण मगरी से नं. 4 क्षेत्रफल 1250'-0'' वर्ग फीट	श्री नारायण पिता मोहन लाल	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के लीज डीड/नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री अंबालाल धोबी के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड हक त्याग पत्र व विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित तलघर एवं सेट बेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण का नियमन कराते हुए <u>नामान्तरण</u> व लीज डीड जारी करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति किये गये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।
2.	901, हिरण मगरी से नं. 4 क्षेत्रफल 2400'-0'' वर्ग फीट	श्री इन्द्रकांत झा	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री बंशी लाल शर्मा के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित सेट बेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण का नियमन कराते हुए <u>नामान्तरण</u> जारी करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
3.	411 हिरण मगरी से नं. 4 क्षेत्रफल 2400'-0'' वर्ग फीट	श्रीमति सखर देवी जैन	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के लीज डीड हेतू आवेदन किया है वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड स्वयं के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड यू आई टी से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर गौराज की जगह कमरा बना हुआ है तथा स्वीकृति के विपरित सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण का नियमन कराते हुए लीज डीड जारी करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से तथा गौराज की जगह कमरा बनाने की शास्ती 5000/- वसूल करते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक में नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।
4.	555, हिरण मगरी से नं. 4, क्षेत्रफल 1250'-0'' वर्ग फीट	श्री सरेन्द्र कुमार नाहर	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री अर्जुन लाल सामर के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। तथा प्रोजेक्शन भी बना रखा है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण जारी करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक में नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
5.	1061 हिरण मगरी, से नं. 4 क्षेत्रफल 2400'-0'' वर्ग फीट	श्री महेन्द्र सिंह, कमलेश बोर्दिया	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नामान्तरण एवं लीज डीड हेतु आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री ओम प्रकाश शर्मा के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित सेट बेक मे निर्माण किया हुआ है। तथा बिना स्वीकृति के प्रथम तल पर निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण एवं बिना स्वीकृति निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण जारी करवाना चाहता है। पूर्व में दिनांक 25.8.11 को समझौता समिति द्वारा फ्रन्ट सेट बेक हटाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन प्रार्थी द्वारा फ्रन्ट सेट बेक में किचन होने के कारण नियमन कराने का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत की गई।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा फ्रन्ट सेट बेक में जो सिढिया बना रखी है। उसे गिराकर फोटो प्रस्तुत करे। फोटो प्रस्तुत होने के पश्चात् शेष सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।
6.	716, हिरण मगरी से नं. 5 क्षेत्रफल 1250'-0'' वर्ग फीट	श्री जगमोहन जोशी	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री किशन लाल जोशी के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड हक त्याग पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित सेट बेक मे निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण जारी करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जाता है। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
7.	738,739 हिरण मगरी से नं. 11 क्षेत्रफल 4080'-0'' वर्ग फीट	श्री भंवरा राम चौधरी	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री कुलबीर सिंह छाबडा एवं श्रीमति प्रीत छाबडा के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित सेट बेक मे एवं बिना स्वीकृति प्रथम तल का निर्माण किया हुआ है। तथा दोनों भूखंडो को शामिल कर लिया है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये एवं बिना स्वीकृति निर्माण का नियमन करते हुए तथा संयुक्तीकरण करा <u>नामान्तरण</u> जारी करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे एवं संयुक्तीकरण हेतु नियमानुसार राशि वसूल करते हुए संयुक्तीकरण किया जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।
8.	31, हिरण मगरी से नं. 11 क्षेत्रफल 150'-0'' वर्ग फीट	श्रीमति विजेता शर्मा	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 25.11.2010 एवं 13.5.2011 एवं 25.8.2011 को आयोजित समझौता समिति की बैठक में प्रकरण विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा मौका देखकर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी ने मौके पर भूतल एवं प्रथम तल मय दोनों ओर निकासु रचना बना भवन में शामिल किया हुआ है। जबकि यहां सिर्फ भूतल में ही दुकानों की टाईप डिजाईन है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण एवं निकासु रचना का नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि टाईप डिजाईन के सम्बन्ध में उप नगर नियोजक अपनी राय देकर प्रकरण आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखा जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
9.	10, सुंदरवास, रोशन सिंह मेहता की बाडी क्षेत्रफल 2400'-0" वर्ग फीट	श्रीमति हर देवी	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री रोशन लाल मेहता के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित सेट बेक मे निर्माण किया हुआ है। तथा प्रथम तल पर बिना स्वीकृति निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये एवं बिना स्वीकृति निर्माण का नियमन करते हुए <u>नामान्तरण</u> जारी करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।
10.	32,किशनपोल क्षेत्रफल 1012'-6" वर्ग फीट	श्री कल्लू खां	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री आशिक हुसैन के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित सेट बेक मे निर्माण किया हुआ है। तथा निकासु रचना भी बना रखी है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण एवं निकासु का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी फ्रन्ट सेट बेक में जो रोड पर निकासु निकाल रखा है। प्रार्थी से सडक पर निकाले गये निकासु को स्वयं के स्तर से हटाने का शपथ पत्र लेते हुए सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक मे नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य मे किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
11.	142,पी सेन्ट्रल एरिया क्षेत्रफल 900'-0" वर्ग फीट	श्रीमति स्नेहलता सनाढ्य	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति किरण देवी सोलंकी के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित संपूर्ण सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। तथा सडक पर निकासु रचना भी बना रखी है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण एवं निकासु का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी फ्रन्ट सेट बेक में जो रोड पर निकासु निकाल रखा है। प्रार्थी से सडक पर निकाले गये निकासु को स्वयं के स्तर से हटाने का शपथ पत्र लेते हुए सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक में नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नही करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।
12.	49, हिरण मगरी से नं. 3 क्षेत्रफल 4977'-0" वर्ग फीट	श्री महेन्द्र तलेसरा	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 25.11.2010 एवं 13.5.2011 को आयोजित समझौता समिति की बैठक में प्रकरण विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को फ्रन्ट सेट बेक में किये गये निर्माण को हटाकर फोटो प्रस्तुत करे। लेकिन प्रार्थी द्वारा पुनः निवेदन किया गया कि भूखंड कार्नर का होकर दोनो तरफ रोड है। अतः इसका नियमन किया जावे।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए नियमन किया जावे। साथ ही प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि प्रार्थी फ्रन्ट सेट बेक में बने कमरे का व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा एवं सेट बेक में किये गये नियमन पर भविष्य में निर्माण नहीं करेगा।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
13.	53, हिरण मगरी से नं.5 क्षेत्रफल 2957'-0" वर्ग फीट	श्रीमति विनोदीनी मेहता	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 24.2.11 एवं 13.5.2011 को आयोजित समझौता समिति की बैठक में प्रकरण विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को फ्रंट सेट बेक में किये गये निर्माण को हटाकर फोटो प्रस्तुत करे। लेकिन प्रार्थी द्वारा पुनः निवेदन किया गया कि भूखंड कार्नर का होकर दोनो तरफ रोड है। अतः इसका नियमन किया जावे।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि फ्रंट सेट बेक में बने कमरे को जो शटर लगा रखा है उसे बंद कर फोटो प्रस्तुत करें फोटो प्रस्तुत होने के पश्चात् सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। साथ ही प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि प्रार्थी फ्रंट सेट बेक में बने कमरे का व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा एवं सेट बेक में किये गये नियमन पर भविष्य में निर्माण नहीं करेगा।
14.	111, अशोक नगर क्षेत्रफल 2880 वर्ग फीट	अंबा लाल पिता देवी लाल	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति पन्ना देवी के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वसीयत से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व मे भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित सेट बेक मे निर्माण किया हुआ है। तथा बिना स्वीकृति निर्माण भी किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण एवं बिना स्वीकृति निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति सदस्यों द्वारा समय नहीं होने के कारण मौका नहीं देखा जा सका अतः मौका देखकर आगामी बैठक में पत्रावली निर्णयार्थ रखी जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
15.	107, फतेहपुरा खारोल कॉलोनी क्षेत्रफल 2400'-0" वर्ग फीट	श्रीमति लीला देवी संचेती पति श्री नजर सिंह	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री सज्जन सिंह सिंघवी के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। तथा बिना स्वीकृति निर्माण भी किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण एवं बिना स्वीकृति निर्माण का नियमन कराते हुए नामान्तरण चाहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे। सेटबेक में नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करे। प्रार्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।
16.	474, भुपालपुरा क्षेत्रफल 2310'-0" वर्ग फीट	श्री महेश नारवानी, कमलेश नारवानी, एवं दामोदर लाल नारवानी	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री हिम्मत सिंह वर्डिया के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। तथा बिना स्वीकृति निर्माण भी निर्माण किया हुआ है। पूर्व में दिनांक 24.2.11 एवं 13.5.11 एवं 25.8.11 को समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखा गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर सिढी बना रखी थी। उसे हटाने एवं नदी पेटे में लटकमा निकासु निकाल रखा था। उसे हटाने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी द्वारा सिढी हटाकर फोटो प्रस्तुत किये गये एवं निवेदन किया गया कि नदी पेटे में जो लटकमा निकासु है वह तोडा नहीं जा सकता है उसका नियमन करते हुए नामान्तरण किया जावे। अतः पत्रावली पुनः विचार हेतु प्रस्तुत है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने नदी पेटे में जो निकासु निकाल रखा है। उसका नियमन नहीं किया जावे तथा उक्त निकासु को प्रार्थी के स्तर पर स्वयं द्वारा हटाने का शपथ पत्र लिया जावे एवं कभी भी नगर परिषद्/राज्य सरकार द्वारा उक्त निकासु को तोडा गया तो वह कोई उजर तथा न्यायालय में किसी प्रकार का वाद नहीं करेगा शेष सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे एवं भविष्य में सेट बेक में किये गये नियमन पर निर्माण नहीं करने का भी शपथ पत्र लिया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
17.	1, रेजीडेंसी क्षेत्रफल 4806'-0" वर्ग फीट	श्री महेन्द्र कुमार एवं भंवर लाल सेठ	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नामान्तरण एवं उपविभाजन हेतु आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री फतेहलाल सेठ के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वसीयत से प्राप्त किया है। भूखण्ड पर पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति जारी है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर स्वीकृति के विपरित सेट बेक में निर्माण किया हुआ है। तथा बिना स्वीकृति भी निर्माण कया हुआ है। पूर्व में दिनांक 13.5.11 को समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखा गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा फ्रन्ट सेट बेक में जो निर्माण किया गया है। उसे गिराकर फोटो प्रस्तुत करे। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि भूखंड के तीनों तरफ रोड होने से किये गये निर्माण का नियमन करते हुए नामान्तरण एवं उपविभाजन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति सेट बेक में जो कमरा बनाया है उस पर भविष्य में निर्माण नहीं करेगा एवं इसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा इस आशय का शपथ पत्र लेते हुए सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे एवं उपविभाजन की राशि नियमानुसार वसूल की जावे।
18.	57, भोपालपुरा 2400 वर्ग फीट	श्री कमल पत्नी स्व. बृज मोहन पाठक एवं मंजु देवी पति स्व. ओम प्रकाश पाठक	प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। आपति प्राप्त हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री महेश चन्द्र पाठक के नाम पर है, प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड/भवन वारीसान से प्राप्त किया है। प्रार्थी के प्रकरण पर उजरदारी प्रस्तुत हुई। जिस पर उजरदार एवं भवन मालिक दोनों को सुनवाई हेतु समिति के समक्ष दिनांक 25.8.2011 को सुनवाई हेतु बुलाया गया जिसमें प्रार्थी सुभाष चन्द्र पाठक उपस्थित हुआ एवं उजरदार कैलाश चन्द्र उपस्थित नहीं हुआ है। जिस पर दोनों को पुनः समिति के समक्ष बुलाने का निर्णय लिया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। उजरदार ने अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने बाबत समय चाहा। जिस पर समिति सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उजरदार को आगामी बैठक में मय दस्तावेज के पुनः बुलाया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
19.	भ.अ/46/11-12 369, हिरण मगरी सें नं. 11, उदयपुर क्षेत्रफल 3406'-86'' वर्ग फीट	श्रीमति पुष्पा श्रीमाली पति एल. एन श्रीमाली	प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण अनुमति हेतू आवेदन किया गया। मौके पर भूतल बना हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने सेट बेक में विचलन करते हुए गैराज की जगह कमरा बना लिया है। जिसका नियमन करना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए तथा गैराज की जगह कमरे की शास्ती 5000/- वसूल करते हुए नियमन किया जावे। प्रार्थी से भविष्य में सेट बेक में किये गये नियमन पर निर्माण नहीं करने का भी शपथ पत्र लिया जावे।
20.	भ.अ/69/2011-2012 प्लाट नं. 736-737 सूर्य नगर, हिरण मगरी, से नं. 3, उदयपुर क्षेत्रफल 925'-0'' वर्ग फीट	श्री जगदीप कुमार सालवी पिता गोकुल चन्द्र जी	प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण अनुमति हेतू आवेदन किया गया। मौके पर भूतल बना हुआ है तथा सामने सेट बेक में नाल बनी हुई है। जिसका नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से लेते हुए नियमन किया जावे तथा प्रार्थी से भविष्य में सेट बेक में किये गये नियमन पर निर्माण नहीं करने का भी शपथ पत्र लिया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
21.	भ.अ/55/2011-2012 प्लाट नं. 992, ज्ञान नगर, हिरण मगरी से नं. 4, उदयपुर क्षेत्रफल 2400'-0" वर्ग फीट	श्रीमति शीला कोठारी पति मांगी लाल कोठारी	प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण अनुमति हेतु आवेदन किया गया। मौके पर भूतल बना हुआ है तथा पीछे एवं साईड के सेट बेक में निर्माण कर रखा है। उसमें से कुछ भाग का नियमन पूर्व में किया हुआ है। शेष भाग का नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में किये गये नियमन के अलावा शेष सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं भवन रेखा के मध्य किये गये निर्माण की लागत का 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे एवं प्रार्थी से भविष्य में सेट बेक में किये गये नियमन पर निर्माण नहीं करने का भी शपथ पत्र लिया जावे।
22.	भ.अ/249/09-10 6, गोविंदपुरा, उदयपुर क्षेत्रफल 2732'-0" वर्ग फीट	श्री महेन्द्र शर्मा पिता प्रेम शंकर शर्मा	मौका देखा गया मौके पर भूतल में प्रार्थी ने सेट बेक में विचलन किया गया है एवं प्रथम तल बिना स्वीकृति के सेट बेक को शामिल करते हुए निर्माण कर रखा है। प्रार्थी का वाद न्यायालय में विचाराधिन था व न्यायालय में दिनांक 20.5.2011 को दोनों पक्षों में समझौता किया गया। जिसकी प्रति भी प्रार्थी ने प्रस्तुत की व प्रार्थी नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में समिति सदस्यों को मौका दिखाया गया। समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने भूतल में पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं प्रथम तल में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं प्रथम तल में सेट बेक छोड़कर जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से लेते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है एवं प्रार्थी से भविष्य में सेट बेक में किये गये नियमन पर निर्माण नहीं करने का भी शपथ पत्र लिया जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
23.	भ.अ/80/09-10 88, चेटक मार्ग, आकाशदीप के पास हाथीपोल चौगान मार्ग स्कीम, उदयपुर क्षेत्रफल 2127'-99" वर्ग फीट	श्री नरेन्द्र कुमार डामर एच यू एफ पिता श्री भंवर लाल डामर	मौका देखा मौके पर प्रार्थी का भूतल एवं प्रथम तल पर पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है एवं भवनों के बीच 20'-0" के स्थान पर 15'-0" सेट बेक छोड़ रखा है जिससे प्रार्थी ने 2'-6" पेसेज को भवन में शामिल मिला दिया गया है। प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 21.9.71 को आवासीय भवन की स्वीकृति दी गई थी। जिसमें बीच में 20'-0" चौड़ा पेसेज छोड़ते हुए भूतल में दुकान व मेजनेन एवं प्रथम तल आवासीय भवन की स्वीकृति दी गई थी।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में समिति सदस्यों को मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।
24.	भ.अ/16/09-10 पुराना नं. 26, नया 506, राव जी का हाटा, सौलंकियों की घाटी, 803'-0" वर्ग फीट	श्री लोकेश कुमार पानेरी पिता स्व. औंकार लाल जी पानेरी,	मौके पर उत्तरी ओर भूतल एवं प्रथम तल में बिना स्वीकृति के हॉल व नाल बना हुआ है तथा दक्षिणी ओर लेट बाथ सरकारी भूमि पर होना पाया गया है। प्रार्थी प्रथम एवं द्वितीय तल आवासीय भवन निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त क्षेत्र 1997 में घोषित नियंत्रित निर्माण निषेध क्षेत्र (झील संरक्षण क्षेत्र) के अन्तर्गत आता है। झील निषेध क्षेत्र में निर्माण बाबत राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अवमानना प्रकरण में दिये गये निर्देश दिनांक 12.10.2011 में अंतिम निर्णय पश्चात् ही प्रकरण पर निर्णय किया जावेगा। तब तक पत्रावली को दफ्तर दाखिल की जावे। प्रार्थी को पत्र लिखकर सूचित करे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
25.	भ.अ/235/08-09 धोली बावडी उदयपुर क्षेत्रफल 11292'-0'' वर्ग फीट	सचिव – मस्जिद व मदरसा मसदरे	प्रार्थी के प्रकरण में पूर्व में श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर के नाम से दिनांक 5.4.2011 को स्वीकृति दी गई थी। परंतु प्रार्थीगण ने स्वीकृति के विरुद्ध कुछ खुले क्षेत्र में भी हॉल टॉयलेट आदि बना लिया गया है जिसे नियमन करने हेतु आवेदन किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय एवं श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।
26.	भ.अ/167/08-09 2, सुरजपोल मठ, उदयपुर क्षेत्रफल 490'-0'' वर्ग फीट	श्री सुरेश पालीवाल एवं राजेन्द्र पालीवाल	प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शें प्रस्तुत किये जिसमें भूतल में दुकान टॉयलेट व नाल तथा मेजनाईन फ्लोर कमरा तथा फस्ट और सेकण्ड फ्लोर में कमरा दर्शाया गया। पूर्व में भवन अनुमति समिति द्वारा भूतल में 10×7 = 70 वर्ग फीट में दुकान बकाया आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति भूतल + एक मंजिल मय 1'-6'' निकासु के दी गई थी। किंतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शें अनुसार निर्माण कर नियमन बाबत प्रार्थना प्रस्तुत की है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूतल में पूरे क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है। अतः प्रार्थी को भूखंड का भू उपयोग परिवर्तन कराने हेतु सूचित करे।
27.	भ.अ/208/08-09 3, उमरावगिरी मठ, उदयपुर 520'-0'' वर्ग फीट	श्री लाला राम आशा देवी	प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शें प्रस्तुत किये जिसमें भूतल में दुकान टॉयलेट व नाल तथा मेजनाईन फ्लोर कमरा तथा फस्ट और सेकण्ड फ्लोर में कमरा दर्शाया गया। पूर्व में भवन निर्माण समिति द्वारा भूतल में 9.6×10 = 95 वर्ग फीट में दुकान बकाया आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति भूतल + एक मंजिल मय 1'-6'' निकासु के दी गई थी। किंतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शें अनुसार निर्माण कर नियमन बाबत प्रार्थना प्रस्तुत की है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है। अतः प्रार्थी को भूखंड का भू उपयोग परिवर्तन कराने हेतु सूचित करे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
28.	भ.अ/138/09-10 भूखंड संख्या 15, भिखारी नाथ जी का मठ, रेजीडेंसी के पास, उदयपुर क्षेत्रफल 4010'-0" वर्ग फीट	मेसर्स गणपति प्लाजा पार्टनर - श्री मोहन माखीजा एवं सुरेश कुमार माखीजा	मौका देखा गया मौके पर प्रार्थी ने संपूर्ण सेट बेक को शामिल मिलाते हुए निर्माण किया एवं अतिरिक्त भूमि पर भी निर्माण किया गया एवं निकासू भी बना रखा है मौके पर भूतल में कुछ हिस्से में दुकाने बनी हुई है। जिसमें वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही है एवं प्रथम व द्वितीय तल में आर सी सी का ढांचा बना रखा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में समिति सदस्यों को मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।
29.	भ. अ/238/2009-2010 प्लॉट नं. 7, माछला मगरा स्कीम, उदयपुर	श्री अयूब खान पिता शमसुद्धीनजी	प्रार्थी द्वारा भूतल में दुकान तथा मेजनाईन फ्लोर बना हुआ है। जिसमें व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है। प्रथम तल आस - पास ईंटों की दिवारे व आर सी सी छत मय प्रोजेक्शन के बना रखा है। जो कि बिना स्वीकृति के बना हुआ है। जिसमें सामने 5'-0" व पीछे 4'-0" प्रोजेक्शन बना हुआ है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि टाईप डिजाईन के सम्बन्ध में उप नगर नियोजक अपनी राय देकर प्रकरण आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखा जावे।
30.	भ.अ/21/2011-2012 भोईवाडा, सिमेंट रोड, उदयपुर क्षेत्रफल 401'-0" वर्ग फीट	श्री इन्द्र लाल खलुडिया पिता स्व. माणक चन्द्र एवं श्रीमति हेमलता देवी पति इन्द्र लाल	प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 7.6.2011 को भूतल + दो मंजिल बिना निकासू के आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध मौके पर भूतल + चार मंजिल मय निकासू के भवन बनाया गया है। सामने की तरफ मात्र 14'-0" चौड़ी सड़क स्थित है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में समिति सदस्यों को मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
31.	भ.अ/35/11-12 53, सर्वरुद्रतु विलास, उदयपुर क्षेत्रफल 5987'-0" वर्ग फीट	श्री मनीष अग्रवाल पिता प्यारे लाल अग्रवाल एवं सरीता पति मनीष अग्रवाल	मौके पर उक्त भूखंड में छत लेवल तक निर्माण कर लिया है। जिसमें यहां के मूल सेट बेक में विचलन किया गया है। दक्षिणी ओर योजना के तहत नाला भूमि बता रखी है। जबकि नाले का कोई असतित्व नहीं दिखाई दे रहा है। पडोसियों द्वारा भी उक्त भूमि पर (नाले भूमि) पर कब्जा किया गया है। प्रार्थी द्वारा किये गये निर्माण का नियमन कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नाले पर किये गये अतिक्रमण को तोड़कर प्रार्थी फोटो प्रस्तुत करे तथा फोटो प्रस्तुत होने के पश्चात् मौका देखकर प्रकरण आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखा जावे एवं आस - पास के अन्य भूखंडधारियों को भी नाले से अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया जावे।
32.	भ. अ/183/2008-2009 25 ए -सी, न्यू फतहपुरा उदयपुर वार्ड नं. 32 क्षेत्रफल 10800'-0" वर्ग फीट	अब्बास अली पिता सैफुद्दीन जी	मौके पर प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के सेट बेक को शामिल मिलाते हुए बेसमेंट एवं स्टील्ड पार्किंग भूतल में हॉल एवं प्रथम,द्वितीय,तृतीय, चतुर्थ एवं पांचवी मंजिल का निर्माण सेट बेक को शामिल मिलाते हुए किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में समिति सदस्यों को मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।
33.	भ.अ/44/10-11 14, आदेश्वर कोलोनी बोहरवाडी, उदयपुर क्षेत्रफल 468'-0" वर्ग फीट	श्री कांति लाल जैन पिता स्व. कन्हैया लाल जी जैन	प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 28.12.2007 को भूतल एवं प्रथम तल बिना निकासु के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध पूर्व एवं उत्तर तरफ 2'-6" निकासु का निर्माण किया गया है। प्रार्थी निकासु को नियमन करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में समिति सदस्यों को मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
34.	भ.अ/85/11-12 117, हिरण मगरी से नं. 13, उदयपुर क्षेत्रफल 4067'-0" वर्ग फीट	डॉ दिलीप कुमार पिता चतुर सिंह बाबेल	प्रार्थी द्वारा भवन अनुमति हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मौके पर सेट बेक में विचलन पाया गया एवं गैराज की जगह कमरा बना दिया गया। जिसका नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं गैराज की जगह कमरे की शास्ती 5000/- रुपये वसूल करते हुए नियमन किया जावे। प्रार्थी से भविष्य में सेट बेक में किये गये नियमन पर निर्माण नहीं करने का भी शपथ पत्र लिया जावे।
35.	भ.अ/185/06-07 गुलाब भवन प्रताप मार्ग, शिक्षा भवन चौराहा, उदयपुर क्षेत्रफल 11900'-0" वर्ग फीट	4, मेसर्स बुला कन्ट्रक्शन पार्टनर नरेश बुला	प्रार्थी का प्रकरण दिनांक 14.9.2008 को भवन अनुमति समिति की बैठक में रखा गया था जिसमें स्वीकृति के विरुद्ध/तृतीय मंजिल के निर्माण को नियमन करने हेतू प्रशासनिक समिति से अनुमोदन हेतू निर्णय लिया गया है। मौके पर प्रार्थी ने नियमन के अलावा फोर्थ फ्लोर में एक फ्लेट का निर्माण किया है। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 8.6.2010 को रखी गयी अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया था जिसमें प्रार्थी से वर्तमान स्थिति के नक्शें एवं प्रार्थी क्या नियमन चाहता है। इस बाबत प्रार्थना पत्र लेने हेतू लिखा था। प्रार्थी ने मौके की स्थिति के नक्शें एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त क्षेत्र 1997 में घोषित नियंत्रित निर्माण निषेध क्षेत्र (झील संरक्षण क्षेत्र) के अन्तर्गत आता है। झील निषेध क्षेत्र में निर्माण बाबत राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अवमानना प्रकरण में दिये गये निर्देश दिनांक 12.10.2011 में अंतिम निर्णय पश्चात् ही प्रकरण पर निर्णय किया जावेगा। तब तक पत्रावली को दफ्तर दाखिल की जावे। प्रार्थी को पत्र लिखकर सूचित करे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
36.	भ.अ/98/08-09 473, भडभुजा घाटी, उदयपुर क्षेत्रफल 780'-0" वर्ग फीट	श्री पुष्कर लाल पिता भैरू लाल सोनी	मौके पर पुराना भवन बना हुआ है। जिसमें स्वीकृति के विरुद्ध निकासु रचना का निर्माण किया गया है। जिसको नियमन कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आपत्तिकर्ता श्रीमति केसर बाई पति स्व. श्री नेमीचंद जैन ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में जब तक न्यायालय का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक प्रकरण का नियमन नहीं किया जावे।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूखंड पर न्यायालय में वाद विचाराधिन है। अतः न्यायालय के निर्णय होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। तब तक पत्रावली दफ्तर दाखिल की जावे। प्रार्थी को सूचित करे।
37.	भ.अ/140/06-07 949, आसिंद की हवेली, सिटी पेलेस रोड, उदयपुर क्षेत्रफल 2210'-0" वर्ग फीट	श्री गोविंद लाल पिता राम नारायण जी सोनी	मौके पर भूतल + चार मंजिल भवन बना हुआ है एवं वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही है। उक्त निर्माण बिना अनुमति के किया गया है। पूर्व में भवन अनुमति समिति द्वारा दिनांक 1.3.11 को उक्त प्रकरण बाबत प्रार्थी द्वारा भू उपयोग परिवर्तन नहीं कराए जाने एवं बिना अनुमति निर्माण किये जाने से प्रकरण को निरस्त किया गया था। प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र नियमन कराने बाबत प्रस्तुत किया गया। नियंत्रित निर्माण क्षेत्र की अधिसूचना 1997 के तहत उक्त क्षेत्र आता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त क्षेत्र 1997 में घोषित नियंत्रित निर्माण निषेध क्षेत्र (झील संरक्षण क्षेत्र) के अन्तर्गत आता है। झील निषेध क्षेत्र में निर्माण बाबत राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अवमानना प्रकरण में दिये गये निर्देश दिनांक 12.10.2011 में अंतिम निर्णय पश्चात् ही प्रकरण पर निर्णय किया जावेगा। तब तक पत्रावली को दफ्तर दाखिल की जावे। प्रार्थी को पत्र लिखकर सूचित करे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
38.	भ.अ/265/07-08 567, मोती चौहटा, उदयपुर क्षेत्रफल 1959'-75'' वर्ग फीट	श्री पंचरत्न इन्टर प्राइजेज पार्टनर श्री मोहन लाल पिता रामचन्द्र जीम माखीजा	मौके पर पीछे के भाग में बिना भवन निर्माण स्वीकृति के भूतल + तीन मंजिल निर्माण किया गया। पूर्व में दी गई वाणिज्यिक स्वीकृति के भूतल में उसके अलावा भी वाणिज्यिक निर्माण किया गया। पूर्व में भूतल + दो मंजिल आवासीय भवन जिसमें भूतल में पार्ट को छोड़कर के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। जो कि मौके पर वाणिज्यिक निर्माण किया गया है। थर्ड फ्लोर में पूर्व स्वीकृति के अलावा भी निर्माण किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किये गये निर्माण को नियमन कराना चाहते हैं। नियंत्रित निर्माण क्षेत्र की अधिसूचना 1997 के तहत उक्त क्षेत्र आता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त क्षेत्र 1997 में घोषित नियंत्रित निर्माण निषेध क्षेत्र (झील संरक्षण क्षेत्र) के अन्तर्गत आता है। झील निषेध क्षेत्र में निर्माण बाबत राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अवमानना प्रकरण में दिये गये निर्देश दिनांक 12.10.2011 में अंतिम निर्णय पश्चात् ही प्रकरण पर निर्णय किया जावेगा। तब तक पत्रावली को दफ्तर दाखिल की जावे। प्रार्थी को पत्र लिखकर सूचित करे।
39.	भ.अ/220/06-07 386, थामला हाउस काला जी गोरा जी उदयपुर क्षेत्रफल 3856'-00'' वर्ग फीट	श्री घनश्याम सिंह पिता स्व. राव रतन सिंह	मौके पर प्रार्थी ने बेसमेंट का निर्माण किया जिसमें जाने के लिए रैम्प 4'-0'' की ऊचाई तक बना हुआ है। जिसमें पार्किंग किया जाना संभव नहीं है। भूतल + तीलन मंजिल तक बंद निकासु रचना बना रखी है। भू उपयोग परिवर्तन करवाते समय भूखंड का ही उपयोग परिवर्तन कराया गया था। प्रार्थी ने व्यवसायिक स्वीकृति नहीं ली थी। मौके पर हुए निर्माण के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाना है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में समिति सदस्यों को मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
40.	भ.अ/196/07-08 40,प्रेमी द्वारा मार्ग, अमंल का कांटा, उदयपुर क्षेत्रफल 989-82" वर्ग फीट	श्री विष्णु शंकर टांक पिता उदयलाल जी टांक	मौके पर उक्त स्थल पर पूर्व में दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के अतिरिक्त निकासु रचना बंद गोखडा बना लिया है। कम ऊँचाई पर नाल की लेण्डिंग एवं छज्जे बनाये है। भूतल में शटर लगा व्यवसायिक निर्माण किया गया है। प्रार्थी किये गये निर्माण को नियमन कराना चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में सर्वेयर द्वारा जमीन का माप कर समिति सदस्यों को मौका दिखाया जाकर आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।
41.	भ.अ/152/06-07 1-2 सुरानों की सेहरी, उदयपुर क्षेत्रफल 1455'-0" वर्ग फीट	श्रीमति चन्द्रा देवी पति शांति लाल चेलावत श्रीमति संगीता सुराना पति रविन्द्र सुराना	मौके पर भूतल + दो मंजिल भवन मय निकासु के बना हुआ है। प्रार्थी को पूर्व में परिषद् द्वारा भूतल में वाणिज्यिक एवं प्रथम तल आवासीय जिसमें रास्ते की ओर 10'-0" भू पट्टी छुडवाते हुए स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया था। भू उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा भूतल + 2 मंजिल तक जो रास्ते की ओर भू पट्टी छुडवाई गई थी उसका नियमन किया था। परंतु पट्टी के अलावा द्वितिय तल में बीच के क्षेत्र का नियमन नहीं किया गया है। जिस बाबत दिनांक 10.9.2009 को भवन अनुमति समिति में प्रकरण रखा गया था। जिसमें निर्णय लिया गया था किय प्रार्थी ने सेकण्ड फ्लोर पर छुडाई गई पट्टी को छोडते हुए बीच के क्षेत्र पर जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 7.5 प्रतिशत से लेने एवं निकासु राशि एवं पार्किंग की कमी की राशि वसूल करते हुए नियमन करने का निर्णय लिया गया था एवं प्रशासनिक समिति से अनुमोदन होने के बाद नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया था। नियमन की राशि जमा नहीं हुई है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। व समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सर्व प्रथम प्रार्थी को आयुक्त महोदय को सुनवाई हेतू प्रकरण भिजवाया जावें एवं सुनवाई होने के बाद आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
42.	भ.अ/436/04-05 पलाट नं. 418, से नं. 6, उदयपुर क्षेत्रफल 3137'-0'' वर्ग फीट	श्रीमति स्नेहलता जैन एवं डॉ विमल कुमार नागौरी	मौके पर भूतल एवं प्रथम तल वाणिज्यिक भवन बना रखा है एवं मौके पर सेट बेक में निर्माण कार्य किया जा रहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मौका देखा मौके पर चूंकि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में निर्माण करना चलता पाया गया। प्रार्थी के नियमन का प्रकरण निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अतिक्रमण शाखा में अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावे।
43.	भ.अ/95/07-08 प्लाट नं. 2,3 सुभाष नगर, पाठों की मगरी, उदयपुर क्षेत्रफल 12952'-5'' वर्ग फीट	श्री नाना लाल तेली एवं अन्य	प्रार्थी का प्रकरण पूर्व में भी अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में रखा गया था। दिनांक 10.9.2009 को भवन अनुमति समिति में प्रकरण रखा गया एवं निर्णय लिया गया था कि परिषद् द्वारा किसी तरह की कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है। जिससे पूरा भवन ही बिना स्वीकृति के निर्मित है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि पूरे भवन का नियमन होगा या मात्र सेट बेक का नियमन होगा। इस बाबत प्रशासनिक समिति में प्रकरण निर्णय हेतु रखा जावे। मौके पर प्रार्थी ने बेसमेंट, पार्किंग व भूतल + चार मंजिल मय सेट बेक में निकासु के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना लिया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रार्थी का प्रकरण न्यायालय में विचाराधिन है। अतः न्यायालय का निर्णय होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। तब तक पत्रावली दफतर दाखिल की जावे। प्रार्थी को सूचित करे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
44.	भ.अ/113/09-10 5, भूतमहल, उदयपुर क्षेत्रफल 7890'-0'' वर्ग फीट	श्रीमति जेहरा बाई, श्रीमति तस्नीम, श्रीमति जेनब बाई, मनोज कच्छावा, तस्नीम बाई पति असगर अली	प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 4.11.2009 को सडक विस्तार हेतू भूमि छुडवाते हुए एवं ई,एफ,जी,एच मेडक्ट (खुला क्षेत्र) छुडवाते हुए भूतल + दो मंजिल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध निकासु का निर्माण किया एवं थर्ड फ्लोर बिना स्वीकृति के बनाया गया व ई,एफ,जी,एच जो खुला छुडाया गया था। जिसमें भी निर्माण कर लिया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रार्थी का प्रकरण न्यायालय में विचाराधिन है। अतः न्यायालय को निर्णय के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। तब तक पत्रावली दफ्तर दाखिल की जावे।
45.	भ.अ/125/96-97 31, शिव मार्ग, तेलीवाडा, उदयपुर क्षेत्रफल 2965'-6'' वर्ग फीट	श्री शंकर लाल बया, लक्ष्मी देवी बया, रमेश चन्द्र, विजय कमलेश बया	प्रार्थी को पूर्व में दिनांक 3.9.93 को आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध मौके पर पूरे भवन को व्यवसाय, दुकाने बना दी गई है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने भवन का उपयोग वाणिज्यिक कर रखा है। इस बाबत स्थानीय निकाय निदेशालय जयपुर को पत्र लिखकर राय ली जावे कि भूखंड पर भू उपयोग परिवर्तन शुल्क वसूल होगा या नहीं। राय आने पर आगामी बैठक में रखा जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
46.	भ.अ/274/06-07 , प्लाट नं. 200-201 से नं. 4, उदयपुर क्षेत्रफल 9000'-0" वर्ग फीट	दिवान टॉप टाईम	मौके पर तलघर, भूतल + 5 मंजिल भवन बना हुआ है। भूतल में वाणिज्यिक निर्माण होना पाया गया। पूर्व में परिषद् द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति तलघर भूतल + चार मंजिल आवासीय प्लेटस की स्वीकृति दी गई थी। जिसमें सामने से 30'-0" व बकाया तीनों तरफ 15'-0" - 15'-0" सेट बेक छोड़ते हुए दी गई थी। सेट बेक में विचलन किया पाया गया। प्रार्थी ने भू उपयोग परिवर्तन हेतु भी पत्रावली लगा रखी है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रार्थी की पत्रावली भू उपयोग परिवर्तन हेतु भी लंबित है। अतः प्रकरण को यहां से निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
47.	भ.अ/61/09-10 1, 1 ई, 1 एफ, अशोकनगर, उदयपुर क्षेत्रफल 4010'-0" वर्ग फीट	श्री राजेन्द्र कुमार, प्रभु लाल, मोहन लाल, दाखी बाई कुम्हार	प्रार्थी को दिनांक 5.8.2008 को भूखंड संख्या 1, 1 ई, 1 एफ पर अलग - अलग स्वीकृतियां जारी की गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं तीनों भूखंडों को शामिल मिला लिया गया जिस पर प्रार्थी ने नियमन हेतु पत्रावली लगाई गई जिस पर प्रार्थी के प्रकरण को भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 24.7.09 में रखा गया एवं समिति द्वारा नियमन करने का निर्णय लिया गया एवं प्रशासनिक समिति में अनुमोदन हेतु लिखा गया एवं प्रार्थी को 22,26,262/- रुपये का नोटिस भी दिया गया परंतु प्रार्थी के पडोसी श्री भोला राम की बार बार उजरदारी प्रस्तुत हो रही है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें उजरदार श्री भोलाराम को सुनवाई हेतु 17.11.11 को 11.00 बजे समिति के सामक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होना था। जिस पर उजरदार भोलाराम ने पत्र का जवाब देते हुए सुझाव दिया कि दोनों पक्षकों को आमने सामने न किया जाकर मुझे अलग से सुना जावे। को आयुक्त महोदय द्वारा सुना जाकर आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे। जिस पर बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उजरदार भोलाराम को सुनवाई हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखी जावे।

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	एवं भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
48.	भ.अ/126/08-09 पंचशील मार्केट, मैन रोड, हिरण मगरी से नं. 5, उदयपुर क्षेत्रफल 5100'-0'' वर्ग फीट	रिद्धी सिद्धि बिल्डर्स पार्टनर फुलचंद पोखरना	प्रार्थी द्वारा यू आई टी से प्राप्त की भवन निर्माण स्वीकृति तलघर, भूतल + प्रथम एवं द्वितीय तल वाणिज्यिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर जिसमें बिना सेट बेक छोड़े भवन निर्माण की स्वीकृति लेकर निर्माण करवाया। जिसमें किसी प्रकार का निकासु रचना की स्वीकृति नहीं दी गई थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शा प्रस्तुत कर थर्ड, फार्थ एवं फिफ्त पलोर के निर्माण स्वीकृति हेतु नक्शा प्रस्तावित किया गया। मौके पर तलघर भूतल + चार मंजिल वाणिज्यिक भवन का निर्माण होना पाया। जिसमें चारों ओर निकासु रचना भी बनाई।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण पर न्यायालय में वाद होने के कारण न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में प्रार्थी को सूचित किया जावे।

उक्त प्रकरणों में मांग की जाने वाली नियमन राशि इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी होने के 15 दिन में अनिवार्यतः जमा करानी होगी। अन्यथा प्रकरण निरस्त योग्य होंगे। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को निर्णयार्थ आगामी समझौता समिति में रखा जावेगा।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

क्रमांक:- नपउ/भ.वि/11-12/

दिनांक:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर।
5. श्री/श्रीमति.....समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर।
8.शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 का कार्यवाही विवरण